गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम, 2003

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 485 (अ) दिनांक 13 जून, 2003*.—केन्द्रीय सरकार, **गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34)** की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम, 2003** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" से गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" से जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) किसी स्थान के संबंध में "स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ऐसे अस्पताल अथवा स्थान का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो और जहां इस अधिनियम के अधीन गर्भ का समापन किया जा सकता हो, प्रशासनिक प्रधान हो अथवा जो अन्यथा रूप में उसके कार्यकरण अथवा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हो;

(ङ) "समिति" से नियम 3 के साथ पठित धारा 4 के खंड (ख) के परंतुक के अधीन जिला स्तर पर गठित की गई समिति अभिप्रेत है;

[1][(च) "चिकित्सा बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ग) के अधीन गठित चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है।]

3. जिला स्तरीय समिति की संरचना और कार्य अवधि.—(1) जिला स्तरीय समिति का एक सदस्य स्त्री रोग विज्ञानी/सर्जन/एनेस्थटिस्ट होगा और अन्य सदस्य स्थानीय चिकित्सा वृत्ति, गैर शासकीय संगठनों और जिले की पंचायती राज संस्था से होंगे :

परन्तु समिति के सदस्यों में से एक महिला होगी।

(2) समिति की कार्य अवधि दो कैलेंडर वर्षों के लिए होगी और गैर-शासकीय सदस्यों की कार्य अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[1][**3क. चिकित्सा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.**—धारा 3 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) चिकित्सा बोर्ड की शक्तियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(i) उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन, केवल सम्यक् विचार करने के पश्चात् और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि गर्भ की उस अवस्था में

* भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 (i) दिनांक 13-6-2003 पृष्ठ 1-8 पर प्रकाशित।

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से अंत:स्थापित।

स्त्री के लिए प्रक्रिया सुरक्षित होगी तथा क्या भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो, चौबीस सप्ताह की गर्भावधि के आगे गर्भ का समापन अनुज्ञात करना या अस्वीकार करना;

(ii) बोर्ड में अन्य विशेषज्ञों से सहयोग लेना तथा गर्भ के समापन का विनिश्चय करने के लिए, यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त अन्वेषणों के लिए कहना;

(ख) चिकित्सा बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) स्त्री और उसकी रिपोर्टों का परीक्षण करना, जो धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए पहुंचे;

(ii) धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर गर्भ के समापन या समापन के आवेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में प्ररूप घ में चिकित्सा बोर्ड की राय प्रदान करना;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि समापन प्रक्रिया की जब चिकित्सा बोर्ड द्वारा सलाह दी जाए, तो वह धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन की तारीख से पांच दिनों के भीतर समुचित परामर्श के साथ सभी सुरक्षा पूर्वावधानियों के साथ की जाए।

[3ख. चौबीस सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन के लिए पात्र स्त्रियां.—अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, चौबीस सप्ताह की अवधि हेतु गर्भावस्था के समापन के लिए निम्नलिखित प्रवर्गों की स्त्रियों को पात्र समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) यौन हमले या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी;

(ख) अल्पवय;

(ग) गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह-विच्छेद);

(घ) शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियां (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदंडों के अनुसार प्रमुख निःशक्तता);

(ङ) मानसिक रूप से रुग्ण स्त्री जिसके अन्तर्गत मानसिक मन्दता भी है;

(च) भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो; और

(छ) मानवीय स्थितियों या आपदा या आकस्मिकता की परिस्थितियों में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जाए।]

4. धारा 2 के खंड (घ) के अधीन अनुभव और प्रशिक्षण.—धारा 2 के खंड (घ) के प्रयोजन के लिये, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में निम्नलिखित में से एक या अधिक का अनुभव या प्रशिक्षण होगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ था, स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून का अनुभव;

(ख) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में जो राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ है;

(i) यदि उसने स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में छः मास की हाउस सर्जैंसी पूरी कर ली है; अथवा

(ii) जब तक उसमें निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है, यदि उसके पास किसी अस्पताल में स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवसाय का एक वर्ष से अन्यून का अनुभव हो; अथवा

(ग) यदि उसने सरकार द्वारा स्थापित अथवा संचालित अस्पताल में अथवा इसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में, गर्भ के चिकित्सकीय समापन के पच्चीस मामलों में, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की सहायता की हो जिनमें से उसने कम से कम पांच मामलों को स्वतंत्र रूप से किया हो।

(i) यह प्रशिक्षण पहली तिमाही के (गर्भावधि के 12 सप्ताह तक) गर्भ का समापन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर एम पी) को समर्थ बनाएगा।

(ii) [1][चौबीस सप्ताह] तक के गर्भ का समापन करने के लिए उप-नियम (क), उप-नियम (ख) और उप-नियम (घ) के अधीन यथाविहित अनुभव और प्रशिक्षण लागू होगा;

[2][(गक) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास गर्भ समापन चिकित्सा पद्धतियों द्वारा नौ सप्ताह तक की गर्भावधि के गर्भ समापन को करने के लिए निम्नलिखित अनुभव और प्रशिक्षण होगा, अर्थात् :—

(i) प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान व्यवसाय का तीन मास से अन्यून अवधि का किसी चिकित्सालय का अनुभव; या

(ii) उसने सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित अस्पताल में अथवा इसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में गर्भ के चिकित्सीय समापन के दस मामलों को गर्भ समापन की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से किया हो;]

(घ) ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की दशा में, जो किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो चुका हो और स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोतर डिग्री अथवा डिप्लोमा धारी हो, ऐसी डिग्री अथवा डिप्लोमा के दौरान प्राप्त अनुभव अथवा प्रशिक्षण।

[2][**4क.** (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा वयवसायी की राय, जो गर्भावस्था की विभिन्न अवधियों के लिए अपेक्षित है, निम्नलिखित होगी, अर्थात् :—

(क) नौ सप्ताह तक की गर्भावस्था अवधि, गर्भ समापन की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा : नियम 4 के खंड (क), (ख), (ग), (गक) और (घ) के अधीन पात्र रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी;

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से अंत:स्थापित।

(ख) बारह सप्ताह तक की गर्भावस्था अवधि, गर्भ समापन की शल्य चिकित्सा पद्धति द्वारा : नियम 4 के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन पात्र रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी;

(ग) बारह सप्ताह से अधिक बीस सप्ताह तक की गर्भावस्था अवधि : नियम 4 के खंड (क), (ख) और (घ) के अधीन पात्र रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, नियम 4 के खंड (क), (ख) और (घ) के अधीन पात्र दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय, जो बीस सप्ताह के अधिक चौबीस सप्ताह तक की गर्भावस्था अवधि के गर्भ के समापन हेतु अपेक्षित है, प्ररूप ङ में होगी।

(3) धारा 3 की उपधारा (2ख) के प्रयोजनों के लिए, चौबीस सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था अवधि के गर्भ समापन हेतु राय : संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित प्रसूविधाओं पर सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा दी जाएगी तथा नियम 4 के खंड (क), (ख) और (घ) के अधीन पात्र दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर गर्भ का समापन करेंगे।]

5. स्थान का अनुमोदन.—(1) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन कोई भी स्थान तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा,—

(i) जब तक सरकार का यह समाधान न हो जाए कि वहां पर गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में किया जा सकता है; और

(ii) जब तक उस स्थान पर निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था न की गई हो, अर्थात :—

प्रथम तिमाही के गर्भ की दशा में अर्थात्, गर्भावधि के 12 सप्ताह तक :—

स्त्री रोग विज्ञान परीक्षण/प्रसव पीड़ा पटल, पुनरूज्जीवन और निर्जमीकरण उपस्कर, ओषधियां और जनकीय तरल, आघात के उपचार के लिए पूर्तिकर सुविधाएं और [1][परिवहन की सुविधाएं;]

दूसरी तिमाही के गर्भ की दशा में अर्थात्, गर्भावधि के [1][चौबीस सप्ताह] तक:—

(क) शल्यक्रिया के लिए पटल और उदरीय या स्त्री रोग विषयक सर्जरी के लिए उपकरण;

(ख) निश्चेतक उपस्कर, पुनरूज्जीवन और निर्जमीकरण उपस्कर;

(ग) [1][केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर] अधिसूचित आपातिक उपयोग के लिए ओषधियां और जनकीय तरल[1][; तथा]

[2][चौबीस सप्ताह से आगे की गर्भावस्था के समापन की दशा में :—

(क) आपरेशन टेबल और उदर संबंधी या स्त्री रोग संबंधी शल्य चिकित्सा करने के लिए उपस्कर;

(ख) निश्चेतना उपस्कर, पुनरुज्जीवन उपस्कर और विसंक्रमण उपस्कर;

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से अंत:स्थापित।

(ग) औषधियों, आकस्मिक उपयोग के लिए जनकीय तरलों और रक्त की उपलब्धता, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए;

(घ) अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन के अधीन प्रक्रिया के लिए सुविधाएं।]

स्पष्टीकरण.—मिसोप्रोस्टल के साथ आर यू - 486 का उपयोग करके [1][नौ सप्ताह] तक के प्रारंभिक गर्भ के समापन की दशा में उसे अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) और गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम के नियम 4 के अधीन यथा परिभाषित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर एम पी) द्वारा उसके क्लीनिक पर विहित किया जाए, परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम, 2002 के साथ पठित गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 4 और गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियमों के नियम 5 के अधीन अनुमोदित स्थान तक पहुंच हो। पहुंच के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को अनुमोदित स्थान के स्वामी से इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना चाहिए।

(2) स्थान के अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 'क' होगा और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित होगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसमें अंतर्विष्ट जानकारी का सत्यापन कर सकेगा या उसके बारे में अपना समाधान करने के लिए उस स्थान का निरीक्षण कर सकेगा ताकि उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और वहां पर निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ का समापन किया जा सकता है।

(4) जिस स्थान का निरीक्षण जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है, उसका प्रत्येक स्वामी उस स्थान के निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा।

(5) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी समिति से तब ऐसे स्थान के अनुमोदन के लिए सिफारिश कर सकेगा यदि ऐसे सत्यापन, पूछताछ अथवा निरीक्षण के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझता हो, उसका यह समाधान हो जाता है कि स्थान पर स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ का समापन किया जा सकता है।

(6) आवेदन और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समिति ऐसे स्थान का अनुमोदन कर सकेगी और प्ररूप ख में अनुमोदन का प्रमाण पत्र दे सकेगी।

(7) समिति द्वारा जारी किए गए अनुमोदन का प्रमाण-पत्र उस स्थान पर सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा जिससे कि वे व्यक्ति जो उस स्थान में जाएं उसे आसानी से देख सकें।

(8) आवेदन प्राप्त करने के 2 मास के भीतर उस स्थान का निरीक्षण किया जाएगा और अगले 2 मास के भीतर या किसी कमी को नोट किए जाने की दशा में, उस कमी का सुधार करने के 2 मास के भीतर अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(9) इन नियमों के प्रारंभ होने पर गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1975 के अनुसरण में अनुमोदित स्थान को इन नियमों के अधीन अनुमोदित समझा जाएगा।

6. स्थान का निरीक्षण.—(1) जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियम 5 के अधीन अनुमोदित स्थान का निरीक्षण जब भी आवश्यक हो, यह सत्यापन करने की दृष्टि से कर सकेगा कि उस स्थान पर गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में किया जाता है या नहीं;

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से प्रतिस्थापित।

(2) यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उस स्थान पर किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो गई है या उसे क्षति पहुंची है अथवा उस स्थान पर गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में नहीं किया जा रहा है तो वह कोई भी सूचना मांग सकेगा अथवा किसी भी वस्तु, ओषधि, एम्पूल, प्रवेश रजिस्टर अथवा अन्य दस्तावेज का, जो उस स्थान पर अनुरक्षित हो, रखा जाता हो या पाया जाए, अभिग्रहण कर सकेगा;

(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अभिग्रहण संबंधी उपबंध जहां तक हो सके, उपनियम (2) के अधीन किए गए अभिग्रहण को लागू होंगे।

7. अनुमोदन के प्रमाण-पत्र का रद्द अथवा निलंबित किया जाना.—(1) यदि नियम 5 के अधीन अनुमोदित किसी स्थान के निरीक्षण के पश्चात् जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सुविधाएं उसमें समुचित रूप से नहीं दी जा रही हैं और ऐसे स्थान पर गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में नहीं किया जा सकता है तो वह उस बात की रिपार्ट समिति को देगा जिसमें उस स्थान पर पाई गई कमियों या दोषों का ब्यौरा देगा और यदि समिति का समाधान हो जाता है तो वह अनुमोदन को निलंबित या रद्द कर सकेगी परंतु समिति नियम 5 के अधीन जारी प्रमाणपत्र को रद्द करने से पहले उस स्थान के स्वामी को अभ्यावेदन करने के लिए अवसर देगी।

(2) जहां नियम 5 के अधीन दिए गए किसी प्रमाणपत्र को रद्द अथवा निलंबित किया जाता है वहां उस स्थान का स्वामी उस स्थान में ऐसे परिवर्धन या सुधार कर सकेगा और उसके पश्चात् वह समिति को नियम 5 के अधीन अनुमोदन दिए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) अनुमोदन के प्रमाणपत्र के निलंबित होने की दशा में उस स्थान को ऐसे निलंबन के आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से, गर्भ के समापन के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित स्थान नहीं समझा जाएगा।

8. पुनर्विलोकन.—(1) किसी स्थान का स्वामी जो नियम 7 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर सरकार को उस आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा :

परंतु सरकार किसी विलंब के लिए उस मामले में माफी दे सकेगी जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी समय के भीतर आवेदन करने में पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था।

(2) सरकार स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

9. सम्मति का प्ररूप.—धारा 3 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट सम्मति प्ररूप ग में दी जायेगी।

10. निरसन और व्यावृत्ति.—गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम, 1975 उन बातों के सिवाए, निरसित किया जाता है, जिहें ऐसे निरसन से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है।

———

[1][**प्ररूप क**

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के अधीन स्थान के अनुमोदन के लिए आवेदन का प्ररूप

अनुमोदित स्थान का प्रवर्ग :

(अ) बारह सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है

(आ) चौबीस सप्ताह के गर्भ का समापन किया जा सकता है।

(i) स्थान का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

(ii) पूर्ण पता :

(iii) गैर-सरकारी या प्राइवेट या नर्सिंग होम या अन्य संस्थाएं :

(iv) कृपया बताइए कि क्या इस स्थान पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :

प्रवर्ग अ

(i) स्त्री रोग विषयक परीक्षण या प्रसव टेबल।

(ii) पुनरुज्जीवन उपस्कर।

(iii) विसंक्रमण उपस्कर।

(iv) प्रघात के उपचार के लिए सुविधाएं, जिसके अंतर्गत आपातकालीन औषधियां भी हैं।

(v) परिवहन के लिए सुविधाएं यदि, अपेक्षित हों।

प्रवर्ग आ

(i) आपरेशन टेबल और उदर संबंधी या स्त्री रोग संबंधी शल्य चिकित्सा करने के लिए उपस्कर

(ii) आपातकालीन दशाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां और जनकीय तरल।

(iii) निश्चेतना उपस्कर, पुवरुज्जीवन उपस्कर और विसंक्रमण उपस्कर।

स्थान :

तारीख : स्थान के स्वामी के हस्ताक्षर]

———

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से प्रतिस्थापित।

प्ररूप ख

[नियम 5 का उपनियम (6) देखिए]

अनुमोदन का प्रमाण-पत्र

नीचे वर्णित स्थान को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया जाता है :

..... सप्ताहों के भीतर पढ़े गए रूप में

स्थान का नाम

पता तथा अन्य वर्णन

स्वामी का नाम

स्थान :

तारीख :

सेवा में,

.....सरकार

IndiaCode

प्ररूप ग

[नियम 9 देखिए]

मैं.....पुत्री/पत्नी.....आयु लगभग.....वर्ष जो इस समय.....(यहां स्थायी पता लिखिए) में निवास करती हूँ.....(उस स्थान का नाम लिखिए जहां गर्भ का समापन किया जाना है) में अपने गर्भ के समापन के लिए अपनी सम्मति देती हूँ।

स्थान :

तारीख : हस्ताक्षर

(जहां स्त्री पागल या अवयस्क हो, वहां उसके संरक्षक द्वारा भरा जाए)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु लगभग.....वर्ष जो इस समय.....(स्थायी पता) में निवास करता/करती हूँ, अपनी प्रतिपाल्य.....के, जो अवयस्क/पागल है,.....(गर्भ का समापन करने का स्थान) में गर्भ के समापन के लिए अपनी सम्मति देता/देती हूँ।

स्थान :

तारीख : हस्ताक्षर

IndiaCode

[1][**प्ररूप घ**

[नियम 3क के खंड (ख) के उपखंग (ii) देखें]

24 सप्ताह से परे गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

गर्भ के समापन की मांग करने वाली महिला का विवरण :

1. महिला का नाम :
2. आयु :
3. रजिस्ट्रीकरण/मामले की सं०
4. उपलब्ध रिपोर्ट और अन्वेषण :

क्रम सं०	रिपोर्ट	निष्कर्षों पर राय

5. अतिरिक्त अन्वेषण (यदि किया गया हो) :

क्रम सं०	किए गए अन्वेषण	मुख्य निष्कर्ष

6. गर्भ के समापन के लिए चिकित्सा बोर्ड की राय :
 - क. अनुमति दी
 - ख. अस्वीकार किया

 निर्णय के लिए औचित्य :
7. गर्भ के समापन के लिए महिला की शारीरिक स्वस्थता :
 - क. हां
 - ख. नहीं

 चिकित्सा बोर्ड के सदस्य जिन्होंने मामले का पुनरीक्षण किया हो :

क्रम सं०	नाम	हस्ताक्षर

तारीख और समय]

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से अंत:स्थापित।

[1][प्ररूप ङ

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के राय का प्ररूप

(बीस सप्ताह से अधिक चौबीस सप्ताह तक गर्भावस्था की अवधि के लिए)

[नियम 4क के उपनियम (2) को देखें]

मैं

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और अर्हताएं बड़े अक्षरों में)

.....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता)

मैं

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और अर्हताएं बड़े अक्षरों में)

.....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता)

प्रमाणित करते हैं, कि हमारी सद्भावनापूर्वक बनाई गई राय के अनुसार

.....

(गर्भवती स्त्री का नाम बड़े अक्षरों में)

निवासी

(गर्भवती स्त्री का पूरा पता, बड़े अक्षरों में)

के बीस सप्ताह से अधिक लेकिन चौबीस सप्ताह तक के गर्भ का समापन करना निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों* के अंतर्गत आवश्यक है।

*बीस सप्ताह से अधिक, चौबीस सप्ताह तक गर्भ के समापन के लिए प्ररूप में दी गयी परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट (क) से (छ) करें :

(क) यौन हमले या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी।

(ख) अल्पवय।

(ग) गर्भावास्था के दौरान वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह-विच्छेद)।

(घ) शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियां (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदंडों के अनुसार प्रमुख निःशक्तता)।

(ङ) मानसिक रूप से रुग्ण स्त्री जिसके अन्तर्गत मानसिक मन्दता भी है।

(च) भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो।

(छ) मानवीय स्थितियों या आपदा या आकस्मिकता की परिस्थितियों में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जाए।

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 12-10-2021 द्वारा दिनांक 12-10-2021 से अंत:स्थापित।

हम यह सूचना देते हैं कि हमने निर्दिष्ट स्त्री, जिनका अस्पताल/अनुमोदित स्थान के दाखिला रजिस्टर में क्रम संख्यांक है, के गर्भ का समापन किया है।

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

टिप्पण : यह अवधारणा करने के लिए कि क्या उसके गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचेगी, उस स्त्री की वास्तविक या युक्तियुक्त पूर्व परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए।]

IndiaCode